न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

16/2026

उनवान

गोबरीलाल बनाम हेमन्त

किस्म मुकदमा 223 (P.D.) मि.नं. 2026/40 सन ....

अभिभाषक अपीलान्ट श्री ओ. पी. मेहता -II अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.2.26	यह अपील जरिये अभिभाषक अपीलांट दिनांक 4.2.26 को प्रस्तुत की गई। सरिस्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर है, जो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे। रेस्पोडेंटगण को नोटिस सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक द्वारा करवाये जाने हेतु अभिभाषक अपीलांट को दस्ती दी जावें। पत्रावली दिनांक 25.3.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	(हस्ताक्षर)
25.3.26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया। अभि. अपीलांट द्वारा आदेशिका में 'नोट प्रेस' अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली नोटप्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	Not press (हस्ताक्षर) O.P. Mehta (मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

1

न्यायालय भूप्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा ,केम्प बारां

गोबरी लाल आयु 58 वर्ष पुत्र श्री मांगी लाल जाति तेली निवासी आर्य समाज भवन के पास वार्ड नं0 14 किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राज0 मो0 नं0 7742059150 ——अपीलान्ट

—बनाम—

1— हेमन्त पुत्र श्री हरिप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी किशनगंज जिला बारां

2— पुष्पाबाई पत्नी श्री हंसराज जाति खत्री पंजाबी निवासी अदालत के सामने किशनगंज जिला बारां राज0

3— गिरिराज पुत्र श्री मांगी लाल जाति तेली निवासी किशनगंज जिला बारां राज0

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राजस्थान

———रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0टी0एक्ट

अपील बनाराजगी विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज ,मिसल नं0 2019/00119 बउनवान हेमन्त —बनाम—पुष्पाबाई वगैराह वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज0टी0एक्ट

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर निवेदन करता है कि :—

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगंज द्वारा रिकार्ड पर उलपब्ध साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नही